रजिस्ट्री सं० डी (डी)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 1979/फाल्गुन 3, 1900
No 53] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 1979/PHALGUNA 3, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 22 ईटीसी/(पी एन)/79

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1979

विषय:—1-1-1979 से 30-6-1979 तक खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत सूत, ऊन या मानव-निर्मित रेशे के कुछ वस्त्र उत्पादों का स्वीडन को निर्यात करने के लिए योजना।

[सि० सं० 2/9/79-ई-1].—उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई(सी)ओ, 1977/एएम(101) दिनांक 22-2-1979 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. योजना 1-1-1979 से 30-6-1979 तक की कोटा अवधि के लिए (1) सूत, ऊन या मानव-निर्मित रेशे की पुरुषों की और लड़कों की शर्टें (2) सूत, ऊन या मानव-निर्मित रेशे की स्त्रियों, लड़कियों और शिशुओं के ब्लाउज और (3) सूत, ऊन या मानव-निर्मित रेशे की बिस्तरे की लिनन का स्वीडन को निर्यात करने से सम्बन्धित है ।

3. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई, सूत या मानव-निर्मित रेशे की बिस्तरे की लिनन के लिए कोटे का आबंटन करेगी और परिधान निर्यात संवर्धन परिषद सूत, ऊन या मानव-निर्मित रेशे की शर्टों और ब्लाउजों के लिए कोटे का आबंटन करेगी । ऊनी बिस्तर की लिनन का आबंटन ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा परन्तु प्रमाणीकरण नीचे उल्लिखित अनुसार सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाता रहेगा ।

4. सूत, ऊन या मानव-निर्मित रेशे की बिस्तर की लिनन के लिए 50 % उपलब्ध कोटे का आबंटन तैयार माल के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाएगा और बाकी का 50 % पक्की संविदाओं के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाएगा । आवश्यकता पर निर्भर करते हुए तैयार माल का सम्बन्धित भाग और पक्की संविदाओं के आबंटन का सामंजस्य सरकार द्वारा जहां आवश्यक पाया जाए किया जाए ।

5. सूत, ऊन या मानव-निर्मित रेशे की शर्टों और ब्लाउजों के लिए 40 % कोटे का आबंटन तैयार माल के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाएगा और बाकी का 40 % पक्की संविदाओं के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाएगा । इन दो प्रणालियों में से प्रत्येक के अन्तर्गत 20 % उपलब्ध कोटे का आबंटन उच्च मूल्य की मदों के लिए किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए निम्नतम मूल्य के लिए दो वस्ते होंगे—एक 20 % आबंटन द्वारा पूरी होने वाली उच्च मूल्य मदों से सम्बन्धित है और दूसरा बाकी की बची हुई 80 % आबंटन द्वारा पूरी होने वाली मदों के लिए मूल न्यूनतम मूल्य से संबंधित है । सूती शर्टों और ब्लाउजों के लिए कोटे का आबंटन साख-पत्र पर किया जाएगा । पहले आए सो पहले पाए के आधार पर तैयार माल के आबंटन के लिए साख-पत्र कोटा पृष्ठांकन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए और पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पक्की संविदा के आबंटन के लिए साख-पत्र कोटा आबंटन के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए या पोतलदान के लिए कोटा पृष्ठांकन से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इनमें से जो भी पहले हो, ऐसा न करने पर कोटा आबंटन स्वतः ही समाप्त हो गया समझा जाएगा] ।

6. पहले आए सो पहले पाए तैयार माल आधार पर कोटा निर्धारण के मद्दे पोतलदान कोटा पृष्ठांकन की तिथि से 10 दिनों के भीतर करने होंगे । लेकिन वस्त्र आयुक्त या उसके प्रतिनिधि से विशेष प्राधिकार प्राप्त करने पर वैध कारणों के लिए अपवाद स्वरूप मामलों में इस अवधि में वृद्धि की जा सकती है ।

7. पहले आए सो पहले पाए निश्चित संविदा निर्धारण के मामले में यदि प्रस्ताव अंतिम तिथि को उपलब्ध कोटा से अधिक होंगे तो प्रस्तावों में चयन करना होगा और इस उद्देश्य के लिए यूनिट कीमत के आधार पर चयन किया जाएगा । ऐसे मामले में उच्चतर यूनिट कीमत मापदण्ड होगी । इस मामले में सूत, ऊन और मानव-निर्मित रेशों से बनी वस्त्रों की कमीजें और ब्लाउजों के लिए अंतिम तिथि को विशेष निर्धारण पर विचार किया जाएगा और व्यवस्था की जाएगी । लेकिन इस सम्बन्ध में समय-समय पर परिवर्तन करने के लिए सरकार का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

8. चूंकि सूती, ऊनी और मानव-निर्मित रेशों की मदों के लिये कोटा संयुक्त है इसलिए सूत, ऊन और मानव-निर्मित रेशों की मदों ब्लाउजों और कमीजों के लिये ऐसे संयुक्त कोटे ऊनी और मानव-निर्मित रेशों की मदों में से प्रत्येक के लिये आरक्षित रखे गए हैं। लेकिन यह पुनर्विचार की शर्त , के अधीन है और यदि आवश्यक हुआ तो इन मदों के लिए आरक्षण में सरकार द्वारा आगे वृद्धि या कटौती की जा सकती है। कोटे का 50% हथकर्घा की मदों के लिए आरक्षित रखा गया है । लेकिन मांग की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हुए यह आरक्षण पुनर्विचार की शर्त के अधीन है।

9. इस उद्देश्य के लिये निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने पर सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा या इसके अंतर्देशीय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा पृष्ठांकन के समय जारी किए गए निर्यात प्रमाण-पत्र के आधार पर आयातक को जारी किए गए आयात लाइसेंस के मद्दे स्वीडन में आयातों की अनुमति दी जाएगी ।

10. जब कभी माल पोत लदान के लिये तैयार हो तो कोटा पृष्ठांकन प्राप्त करने के लिये और अपेक्षित निर्यात प्रमाणपत्र जारी करने के लिये निर्यातक इस उद्देश्य के लिये मनोनीत निर्यात संवर्धन परिषद को या इसके अन्तर्देशीय प्रतिनिधि को अपेक्षित पोत परिवहन दस्तावेज (दो प्रतियों में पोत-लदान बिलों सहित) और दो प्रतियों में आवेदनपत्र पोत लदान के अधीन माल का ब्यौरा देते हुए और कोटा प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा । उसके पश्चात् पोत परिवहन बिलों और अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिये दस्तावेज सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएंगे । तैयार पोशाकों (अर्थात् सूत, ऊन या मानव-निर्मित रेशों में बने कमीजों और ब्लाउजों) के मामले में पोत परिवहन बिलों सहित पोत परिवहन दस्तावेज भी पोत लदान के पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोत परिवहन बिल नोट कर लिए जाने से पहले कोटा पृष्ठांकन के लिये इस उद्देश्य के लिए मनोनीत निर्यात संवर्धन परिषद् को या इसके अन्तर्देशीय पत्तन प्रतिनिधियों को प्रस्तुत किए जाएंगे इन सभी मामलों में पोतवणिकों को सीमाशुल्क विभाग से पोत परिवहन बिल प्राप्त कर लेने के बाद उनकी संख्या और तिथि की सूचना सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद को या इसके उन अन्तर्देशीय प्रतिनिधियों को देनी होगी जिनसे कोटा पृष्ठांकन प्राप्त किया है ।

11. निर्यात प्रमाणपत्र केवल के लिये और इसलिये परिषद के प्राप्त करने के पश्चात् पोतवणिक अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ उसको अपने केस को भेजेगा ।

12. वस्त्र आयुक्त, बम्बई या उसके द्वारा मनोनीत एक अधिकारी कोटा निर्धारण से संबंधित मामलों का दिन-प्रति-दिन पर्यवेक्षण करेगा । विभिन्न सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों और वस्त्र आयुक्त को अध्यक्ष रखते हुए एक समन्वय समिति समय-समय पर परिस्थिति की पुनरीक्षा करेगी ।

13. पोशाकों की मदों के लिये कोटा आबंटन के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10% मूल्य के लिये आवेदक द्वारा निष्पादन बाण्ड पहले आए सो पहले पाए पक्की संविदा के आधार पर आबंटन के लिये आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा । पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के आधार पर कोटा निर्धारण के मामले में प्रति नग एक रुपया या जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10% जो भी अधिक हो, की दर पर अग्रिम धन आवेदक को कोटा पृष्ठांकन के समय जमा करना होगा । यदि कोटा आबंटन/कोटा पृष्ठांकन की वैधता अवधि के भीतर 90% से कम उपयोग होगा तो निर्यात का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जमा किए गए अग्रिम धन/बाण्ड निष्पादन पूर्ण धनराशि वापस कर दी जायेगी । यदि कोटा निर्धारण का उपयोग 90% से कम होगा तो निष्पादन बाण्ड की पूर्ण धनराशि के लिए जुर्माना किया जायेगा और जमा किया गया पूर्ण अग्रिम धन जब्त किया जा सकता है । आगे यदि कोटे का अभ्यर्पण आबंटन के 25% से अधिक हो तो ऐसे आबंटी के लिये आगे कोटा आबंटन को मना करने पर विचार किया जा सकता है लेकिन प्रधान शक्ति की शर्तों में उपयुक्त छूट पर विचार किया जा सकता है ।

14. निर्यात की अनुमति भारत के भारत में किसी भी पत्तन से दी जायगी ।

15. निर्यात संवर्धन परिषदों के पते निम्नलिखित अनुसार हैं :

(1) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद,
"इंजीनियरिंग सेन्टर"
9, मैथ्यू रोड, पांचवी मंजिल,
बम्बई–400 004.

(2) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद,
सहयोग बिल्डिंग, चौथी मंजिल
50–नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली—110019

(3) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद,
714—अशोक एस्टेट,
24, बाराखम्भा रोड,
नई दिल्ली—110011

16. उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अनुसार जिन व्यक्तियों को कोटा आबंटित किया गया है लेकिन जो उसको पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाते हैं उनके विरुद्ध जो इस सम्बन्ध में अन्य कार्रवाई की जा सकती है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही उन्हें भविष्य में कोटा प्राप्त करने के लिये घोषित किया जा सकता है ।

17. पहले की कंडिकाओं को ध्यान में रखते हुए क्रम सं० 70(9) के सामने विद्यमान प्रविष्टि निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :—

1	2	3
70(9)	सूती, ऊन या मानव-निर्मित रेशे के वस्त्र उत्पादों का स्वीडन को निर्यात	खुले सामान्य लाइसेंस–3 के अन्तर्गत निर्यात की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जायेगी । निम्नलिखित द्वारा कोटा आबंटन के मदें :— (1) सूत या मानव-निर्मित रेशे की बिस्तरे की लिनन के लिये सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद । (2) सूती ऊनी या मानव-निर्मित रेशे की शर्टों और ब्लाउजों के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद । (3) बिस्तरे की ऊनी लिनन के लिए ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद

का० वे० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd February, 1979

PUBLIC NOTICE NO 22-ETC(PN)/79

Sub : Scheme for exports under OGL. 3 of certain textile products of cotton, wool or man-made fibres to Sweden upto 30-6-1979.

F. No. 2/9/79-E.I.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O. 1977/AM(101) dated 22-2-1979, on the above subject.

2. The Scheme relates to exports of (i) Men's and boy's shirts, of cotton, wool or man-made fibres; (ii) Women's, girls' and infants' blouses, of cotton, wool or man-made fibres and (iii) bedlinen, of cotton, wool or man-made bfibres to Sweden for the quota period from 1-1-1979 to 30-6-1979.

3. The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay will allocate quotas for bedlinen, of cotton or man-made fibres and the Apparels Export Promotion Council, New Delhi will allocate quota for shirts and blouses of cotton, wool or man-made fibres. The allocation for woollen bedlinen will be made by the Wool and Woollens Export Promotion Council New Delhi but necessary Certification will continue to be done by the Export Promotion Council concerned as outlined below.

4. For bedlinen, of cotton, wool or man-made fibres, 50% of the available quota will be allocated on first-come, first-served basis for ready goods and the rest 50% on firstcome, first-served basis for firm contracts. Depending upon the need, adjustment of the related proportion of ready goods allocation and firm contracts allocation may be made by the Government whenever it is found necessary.

5. For shirts and blouses, of cotton, wool or man-made fibres, 40% of the quota will be allocated on first-come, first-served basis for ready goods and the rest 60% on firstcome, first-served basis for firm contracts. Under each of these two systems, 20% of the available quota will be allocated for higher value items. For this purpose, there will be two sets of floor prices—one relating to higher value items covered by 20% allocation and the other basic floor price for items covered by the remaining 80% of the allocation. Quota allocation for cotton shirts and blouses will be made on LC terms. For first-come, first-served ready goods allocation, LC should be produced at the time of quota endorsement and for first-come, first-served firm contract allocation, LC should be produced within in 60 days of quota allocation or before quota endorsement for shipment, whichever is earlier, failing which quota allocation will be automatically deemed to lapse.

6. Shipments against quota allocations on first-come, first-served ready goods basis will have to be effected within 10 days from the date of quota endorsement. However, this period can be extended in exceptional cases for valid reasons on specific authorisation from the Textile Commissioner or his representative.

7. In the case of first-come, first-served firm contract allocation, if the offers are more than the quota available on the terminal date, a choice among offers may have to be made and, for this purpose, selection will be made on the basis of unit price. The higher unit price will be the criterion in such an eventuality. In that case, on the terminal date special allocation for children's shirts and blouses, of cotton, wool or man-made fibres will be considered and provided. The Government however, reserves the right to make changes in this regard from time to time.

8. As the quotas for cotton, woollen and man-made fibres items are combined, 0.5% of such combined quotas for blouses and shirts, of cotton, wool or man-made fibres have been reserved each for woollen and man-made fibre items. This is, however, subject to review and, if necessary, a further enhancement or reduction in the reservation for these items may be made by Government. 50% of the quota has been reserved for handloom items. This is, however, subject to review depending upon the trend of demand.

9. The imports into Sweden will be permitted against the import licence issued to the importer on the basis of the export certificate issued at the time or endorsement by the Export Promotion Council concerned or its authorised up-country representatives on fulfilment of the terms and conditions laid down for the purpose.

10. Whenever the consignment is ready for shipment, the exporter shall submit the necessary shipping documents (including shipping bills in duplicate) and proforma application in duplicate covering the details of goods under shipment to the Export Promotion Council designated for this purpose or to its up-country port representatives along with quota certificate, for obtaining quota endorsement and for issuing the necessary export certificate. Thereafter the documents shall be submitted to the Customs for completion of the shipping bills and other formalities. In the case of readymade garments (i.e., shirts and blouses, of cotton, wool or man-made fibres) the shipping documents including shipping bills will also be submitted to the Export Promotion Council designated for this purpose or its up-country port representatives for quota endorsement before the shipping bills are noted by the Customs at the port of shipment. In all these cases the shippers will be required to inform the Export Promotion Council concerned or its up-country port representatives from whom the quota endorsement is obtained, the number and the date of shipping bills after the same are collected from the Customs.

11. The export certificate is meant for the buyer and hence the same after obtaining from the Central Bank is to be forwarded by the shipper to his buyer alongwith other relative documents.

12. The Textile Commissioner, Bombay, or an officer designated by him will have a day-to-day supervision over the matters relating to quota allocation. A Co-ordination Committee with the Textile Commissioner as the Chairman and representatives of various Export Promotion Councils concerned will review the situation from time to time.

13. For garments items, performance bond for a value of 10% of the f.o.b. value of quota allotment will have to be submitted by the applicant alongwith the application for quota allotment on first-come, first served firm contract basis. In the case of quota allocation on first-come, first-served ready goods basis, earnest money at the rate of Re. 1/- per piece or 10% of the f.o.b. value, whichever is higher, will have to be deposited by the applicant at the time of quota endorsement. If the utilisation within the validity period of quota allotment/quota endorsement is not less than 90% full amount of earnest money deposit/performance bond will be refundable on production of

evidence of export. If the utilisation of quota allocation is less than 90%, penalty for the full amount of the performance bond will be imposed, and the full earnest money deposit will be liable to be forefeited. Further, if the surrender of quota is in excess of 25% of a allotment, refusal of further quota allotment for such allottees may be considered. However, in conditions of force majeure, appropriate exemptions may be considered.

14. Exports will be allowed from any port in India.

15. The addresses of the Export Promotion Councils are as follows :—

(I) The Cotton Textiles Export Promotion Council,
'Engineering Centre',
9, Mathew Road, 5th Floor,
Bombay-400004.

(II) Apparels Export Promotion Council,
Sahayog Building, 4th Floor,
58, Nehru Place,
New Delhi-110019

(III) Wool and Woolens Export Promotion Council,
714, Ashoka Estate,
24, Barakhambha Road,
New Delhi-110001.

16. Persons to whom quotas are allotted in accordance with the above arrangements but who do not utilise them fully would be liable to dis-qualification from getting future quotas without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

17. In view of the foregoing paragraphs the existing entry against S. No. 70(ix) shall be substituted by the following :—

1	2	3
70(ix)	Export of textile products of cotton wool or man made fibres to Sweden.	Export will be allowed under OGL. 3 subject to the following : Against quota allotment by : (i) Cotton Textiles Export Promotion Council for bed linen of Cotton or manmade fibres, (ii) Apparel Export Promotion Council New Delhi for shirts and blouses of cotton, wool or man-made fibre, (iii) Wool & woollen Export Promotion Council for Woollen bed linen.

K.V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979